

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना

पत्र संख्या-टी-3/भवन किराया-01/2010(अंश)-
सेवा में,

पटना, दिनांक -

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय:- औ0 प्र0 संस्थान, ठाकुरगंज (किशनगंज) जो कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित), ठाकुरगंज के भवन परिसर में दिनांक-11.11.2009 से 31.03.2016 तक संचालित था, का निर्धारित समुचित कुल रूपया 15,070/- (पन्द्रह हजार सत्तर रूपये) मात्र की दर से मासिक किराया की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- 2- मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प संख्या-4761 दिनांक 28 अक्टूबर, 1971 के साथ पठित संकल्प संख्या-62 (प्र0सु0) दिनांक 9 सितम्बर, 1974 द्वारा विभागीय/विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- 3- यह व्यय आय व्ययक शीर्ष मुख्य शीर्ष-2230 श्रम तथा रोजगार, उपमुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या-26, उपशीर्ष-01118 नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड-P 2230030030118 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- 4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज (किशनगंज) होंगे।
- 5- राशि की निकासी जिला कोषागार, किशनगंज से की जायेगी।
- 6- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या टी-3/भवन किराया-01/2010(अंश) के पृष्ठ-36/टि0 पर प्राप्त है।
- 7- प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक-टी-3/भवन किराया-01/2010(अंश)- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग।


ज्ञापांक-टी-3/भवन किराया-01/2010(अंश)- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (आय व्ययक शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक-टी-3/भवन किराया-01/2010(अंश)- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि- प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, ठाकुरगंज (किशनगंज)/अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि बाजार समिति, किशनगंज/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2- उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बजट उपबंध रहने पर मकान के किराये का भुगतान करते रहेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भुगतान करने के पूर्व कार्यापालक अभियन्ता भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर लेना होगा, जो बिहार वित्त नियमावली खण्ड-2 के परिशिष्ट-5 के अनुबंध "क" के मद संख्या 22 के प्रावधानों के अनुसार हरेक वर्ष प्रथम बार के साथ संलग्न किया जायेगा।
3- किराये में वृद्धि एवं भवन परिवर्तन के हालत में किराये की स्वीकृति में पुनः सरकार का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक-टी-3/भवन किराया-01/2010(अंश)- 578 पटना, दिनांक - 02/03/2017.
प्रतिलिपि- बजट शाखा/मासिक व्यय विवरणी शाखा/भवन शाखा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग।